आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 219/2021(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्वनाम ए यू फाइनेनसियर (इंडिया) लिमिटेड) पता– 19A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स श्री खाटू श्याम फिलिंग स्टेशन जरिये प्रोपराईटर श्री राजेन्द्र अग्रवाल व श्री सुरेश चन्द गोयल, पता–एन एच–8, देहली–जयपुर रोड, ग्राम गोरधनपुरा, कोटपूतली, जिला–जयपुर ।
2. श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री सुरेश चन्द गोयल, पता–मकान नं॰डी–1/498, कृष्णा गली, कोटला, मुबारकपुर, लोधी रोड, सेंट्रल, नई दिल्ली।
3. श्रीमती मंजु अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल पता–मकान न.जे–89,ए आर डी काम्पलेक्स,सेक्टर–13,आर के पुरम, दक्षिण वेस्ट, नई दिल्ली।
4. मैसर्स श्री खाटू श्याम मोटर्स जरिये भागीदार श्री राजेन्द्र अग्रवाल व श्री सुरेश चन्द गोयल पता–खसरा न.1548, चोकी गोरधनपुरा, कोटपूतली, जयपुर, राज0.।
5. श्रीमती ललिता गोयल पत्नी श्री सुरेश चन्द गोयल, पता–मकान न॰डी–1/498,कृष्णा गली, कोटला, मुबारकपुर, लोधी रोड, सेंट्रल,नई दिल्ली।
6. श्री सुरेश चन्द गोयल पुत्र श्री बद्री प्रसाद गोयल, पता–मकान न॰डी–1/498,कृष्णा गली,कोटला, मुबारकपुर, लोधी रोड, सेंट्रल,नई दिल्ली।
7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामवतार अग्रवाल, पता–मकान न.जे–89,ए आर डी काम्पलेक्स,सेक्टर–13,आर के पुरम, दक्षिण वेस्ट,नई दिल्ली।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 16.11.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.11.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ललिता देवी के स्वामित्व की सम्पति औधोगिक संपरिवर्तित भूमि व भवन खसरा न. 1548, क्षेत्रफल 0.2756 हैक्टेयर, ग्राम गोरधनपुरा, कोटपूतली, जयपुर क्षेत्रफल 2756.00 वर्गमीटर को बन्धक रख कर 80,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19–04–2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitization an reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 80,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशी नये ब्याज कुल राशि 76,90,375/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19–04–2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस का दिनांक 17.07.2021 प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitization an reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती ललिता देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति औधोगिक संपरिवर्तित भूमि व भवन खसरा न. 1548, क्षेत्रफल 0.2756 हैक्टेयर, ग्राम गोरधनपुरा, कोटपूतली, जयपुर, क्षेत्रफल 2756.00 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 16.11.2021. को सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर